





Form No.3

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर
मोहनसिंह वर्ग. बनाम रामायतार

किस्म मुकदमा दावा धारा 188 RTA नं०63 सन् 2024 जीसीएमएस न०.
हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.24	<p>वकील वादी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 188 RTA के तहत पेश किया गया। दावा वादी दर्ज रजिस्टर हों। प्रतिवादीगण की तलवी वादी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी हों। पत्रावली दिनांक 09.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (सचिन यादव) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) </p> <p>  09/07/24 </p> <p> आज यह पत्रावली वादी के वकील द्वारा प्रार्थना पर अज अदालत न्यायाधीश मोहनसिंह द्वारा पेश किये गए पत्रावली (मुतविक) प्रार्थना पर अदालत करायी है। पत्रावली में आपस में राजीनामा हो गया है अतः इस उक्त दखे को अदालत में नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना राजीनामा स्वीकार किया गया है पत्रावली प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना वाद तामील जाय। (दफ्तरी दफ्तर है) </p> <p style="text-align: right;">  सचिन यादव उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) </p>	<p>को दखी है</p> <p style="text-align: right;">  अज </p>